# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
## पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस

**पत्रावली संख्याः— 05/2012/निगरानी**

घीसूसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सज्जनपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

**निगरानीकर्ता**

**बनाम**

1. मूर्ति मन्दिर श्री रामदेवजी वाके ग्राम सज्जनपुरा जरिये संरक्षक पुजारी रामगोपाल पुत्र भोमाराम जाति बलाई निवासी ग्राम सज्जनपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
2. ग्राम पंचायत बाज्यावास, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बाज्यावास पंचायत समिति दांतारामगढ जिला सीकर।

**गैर निगरानीकर्ता**

**निगरानी विरूद्ध निर्णय न्यायालय स्थाई प्रशासन समिति दांतारामगढ़ के निर्णय दिनांक 08.11.2011**

वकील प्रार्थी श्री बजरंग सिंह
वकील अप्रार्थी श्री सोहनलाल

**निर्णय** **दिनांकः—26.07.2018**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी को ग्राम पंचायत बाज्यावास पंचायत समिति दांतारामगढ जिला सीकर ने दिनांक 20.10.2009 को पट्टा संख्या 11 आबादी भूमि का जारी किया था जिसे पंचायत समिति दांतारामगढ ने दिनांक 08.11.2011 को अवैध रूप से निरस्त फरमा दिया गया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय मे अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई थी तथा न ही कोई दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का आवेदन अपील के साथ संलग्न था। इसलिए मियाद बाहर अपील प्रस्तुत होने पर इस तथ्य पर कोई गौर न कर खण्डनाधीन आज्ञा पारित की है। आवेदक पट्टेशुदा भूमि का उपयोग व उपभोग सदैव से ही करता आ रहा है जिसका पट्टा ग्राम पंचायत ने वैध रूप से प्रार्थी को दिया था। अनावेदक संख्या 1 न तो मन्दिर का पुजारी है व न ही संरक्षक है। उल्लेखनीय है कि रामदेवजी महाराज का मन्दिर आज से करीबन 6–7 वर्ष पूर्व गांव वालो के सहयोग से चौक में बनवाया था। अनावेदक संख्या 1 ने बदनीयती से आवेदक की पट्टेशुदा भूमि हड़पने के लिए योग्य अधीनस्थ न्यायालय में बिल्कुल झूठी कार्यवाही की है। अनावेदक संख्या 1 मन्दिर की आड़ मे सार्वजनिक चौक व रास्ते पर उतरी व पश्चिमी दिशा मे अतिक्रमण कर लिया है तथा चबुतरा व डन्डा बना कर अतिक्रमण किया है तथा वह स्वयं ही क्लीन हेण्ड से न्यायालय मे नही आया है वह स्वयं ही एक अतिक्रमी है तथा अनावेदक संख्या 1 ने अपने घर के सामने अनाधिकृत अतिक्रमण किया है तथा अतिक्रमण जमीन हड़पने करने के लिए सारी कार्यवाही गलत प्रस्तुत की है। आवेदक की हवेली के सामने उसकी पट्टेशुदा भूमि है उस भूमि से अनावेदक संख्या 1 का कोई सम्बंध व सरोकार नहीं है तथा आवेदक इस भूमि का सदैव से ही उपयोग व उपभोग कर रहा है तथा वैध कब्जे के आधार पर ही ग्राम पंचायत ने वैध रूप से प्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी किया था। आवेदक का कब्जा विवादित भूमि पर गत 50 वर्षो से भी अधिक समय से है तथा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवेदक विवादास्पद भूमि पर पीढ़ियों से काबिज है तथा ग्राम पंचायत बाज्यावास ने सम्पूर्ण कानूनी प्रकिया अपना कर आवेदक के पक्ष में 177–77 गज भूमि का पट्टा नियमानुसार दिया है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय स्थाई प्रशासन समिति पंचायत समिति दांतारामगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.11.2011 निरस्त फरमाया जावे।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई एवं अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 की और से अधिवक्ता श्री सोहनलाल उपस्थित आये। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया एवं बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली में प्रार्थी घिसुसिंह द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत बाज्यावास के समक्ष अपने स्वयं के कब्जा शुदा भूखण्ड का पट्टा चाहने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन के आधार पर ग्राम पंचायत बाज्यावास द्वारा दिनांक 20.10.2009 को प्रार्थी घिसुसिंह का 50 वर्षो से कब्जा मानते हुए 177.77 वर्गगज का पट्टा रूपये 200/– के शुल्क पर जारी किया गया है जो सरपंच व ग्राम सेवक के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध न्यायालय सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) दांतारामगढ़ के निर्णय दिनांक 02.12.2010 की प्रमाणित प्रतिलिपी के मुताबिक प्रार्थी के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जाना एवं प्रार्थी का पट्टाशुदा भूमि पर काबिज होना अंकित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में मात्र ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने में अपनाई गई प्रकिया में तुच्छ त्रुटियों को आधार बनाकर अपना निर्णय पारित किया है। जो कि अपने आप में अपूर्ण है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय स्थाई प्रशासन समिति पंचायत समिति दांतारामगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.11.2011 इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/7/18
(जय प्रकाश)
अति. जिला कलक्टर, सीकर
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official